चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 277 लीटर कच्ची शराब व 02 क्विंटल लहन तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये।

(i). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिहं तथा आरक्षी, प्रकाश मिश्रा, आरक्षी शुभम मिश्रा, आरक्षी मनीष यादव, महिला आरक्षी प्रियंका सिंह द्वारा ग्राम सिरावल माफी में छोपेमारी कर अभियुक्त राममिलन उर्फ भुन्ना निषाद पुत्र जौखी निषाद निवासी सिरावलमाफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 204 लीटर कच्ची शराब, 02 क्विंटल लहन व शराब बनाने के उपकरणो के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii).चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी एवं उनके हमराही आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त संजय पुत्र भगवानदीन निवासी लूसरिया मंदाकिनी रघुराजनगर थाना नयागांव जिला सतना म0प्र0 को 73 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैयालाल बक्स सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 9354/2022 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.चुनकावन यादव उर्फ नवी पुत्र बलदेव 2.अभिषेक उर्फ शेरा पुत्र देवशरण निवासीगण छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह थाना राजापुर
2.आरक्षी शिवधनी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं जनपद बांदा के अतर्रा में माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के कार्यक्रम को देखते हुये सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभारी सर्विलांस/एसओजी श्री एम.पी. त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्विलांस टीम द्वारा कर्वी शहर के धनुष चौराहा, पटेल तिराहा, बस स्टैण्ड. रेलवे स्टेशन आदि विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी। इस दौरान सर्विलांस/एसओजी प्रभारी द्वारा आसूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की गयी। आगे भी पूरे जनपद के नगरों कस्बों ग्रामीण इलाकों एवं वन क्षेत्रों की निगरानी निरन्तर ड्रोन कैमरे के माध्यम से की जायेगी।

(4). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा परिवारिक विवादों/मतभेदों को समाप्त कराते हुए 02 परिवारों को टूटने से बचाया
परिवार आपसी मतभेदों/विवादों को भूल पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी रहने को हुए तैयार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा 02 दम्पत्ति जोडों के आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 02 परिवारों में सुलह कराते हुए 02 परिवारों को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रोशनी पुत्र रामभवन निवासी विद्या नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति राममिलन पुत्र भगवती निवासी खोर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट एवं ससुरालीजानों के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट व दहेज के लिये प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में तथा आवेदिका श्रीमती सुनीता उर्फ सीमा पुत्री मोहन निवासी ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति जितेन्द्र पुत्र रतीराम निवासी हरपालपुर थाना हरपालपुर जिला छतरपुर म0प्र0 तथा ससुरालीजनों के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज व दहेज के लिये प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये गये। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव, महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्षों से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दोनों दम्पत्ति जोड़ों के पति-पत्नि ने एक दूसरे के गले में फूलमाला डालकर मुंह मीठा कराया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा दोनों दम्पत्ति जोड़ों को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव
3.महिल आरक्षी अनामिका सिंह

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी

प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।